

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +5240

सोमवार, 03 अप्रैल, 2023/13 चैत्र, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

विदेशी नागरिकों के लिये मुफ्त पर्यटक वीजा

+5240. श्रीमती क्वीन ओझा:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के बाद विदेशी नागरिकों के लिए मुफ्त पर्यटक वीजा शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) किन देशों के नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं;
- (ग) क्या विदेशी नागरिकों के लिए पांच लाख मुफ्त वीजा स्वीकृत किए गए हैं जिससे विदेशी मुद्रा का नुकसान होगा;
- (घ) क्या सरकार के पास नुकसान की भरपाई के लिए कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): भारत सरकार ने दिनांक 28 जून, 2021 को पर्यटक वीजा की बहाली के बाद पहले पाँच लाख पर्यटक वीजा निःशुल्क प्रदान किए जाने की घोषणा की। यह ई-पर्यटक वीजा और नियमित पर्यटक वीजा दोनों के लिए लागू था।

भारत सरकार ने दिनांक 15 अक्टूबर, 2021 से चार्टर उड़ानों से ई-पर्यटक वीजा/पर्यटक वीजा पर पर्यटन के उद्देश्य से विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति (केवल सामूहिक पर्यटन के लिए) दी। विदेशी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से दिनांक 15 नवम्बर, 2021 से ई-पर्यटक वीजा/पर्यटक वीजा पर पर्यटन हेतु भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी गई।

निःशुल्क पर्यटक वीजा दिनांक 6 अक्टूबर, 2021 को अथवा उसके बाद जारी हुए ई-पर्यटक वीजा/पर्यटक वीजा पर लागू था। इन पर्यटक वीजा की वैधता अवधि एकल प्रवेश के साथ 30

दिन की थी। यह योजना दिनांक 31 मार्च, 2022 तक अथवा पहले पाँच लाख पर्यटक वीज़ा जारी किए जाने तक वैध थी।

दिनांक 6 अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक 1,27,999 नियमित पर्यटक वीज़ा और 2,27,225 ई-पर्यटक वीज़ा जारी किए गए।

प्रारंभ में ई-पर्यटक वीज़ा 156 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध था जो अब संशोधित होकर 166 देशों के लिए हो गया है जबकि नियमित पर्यटक वीज़ा अधिकांश देशों के लिए उपलब्ध था।

(ग) से (घ): कोविड महामारी की स्थिति में सुधार शुरू होने पर भारत सरकार ने विदेशों के नागरिकों को भारत की यात्रा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए पहले पाँच लाख पर्यटक वीज़ा निःशुल्क जारी करने की घोषणा की। यह योजना दिनांक 31 मार्च, 2022 तक अथवा पाँच लाख वीज़ा निःशुल्क जारी किए जाने तक, जो भी पहले हो, लागू थी।
